24, अप्रैल 1971

रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

22 ... 1971 GOVT. OF INDIA

सं० 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 24, 1971 (वैशाख 4, 1893)

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 24, 1971 (VAISAKHA 4, 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 8 Febuary 1971 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

शून्य
—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाए मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	411
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	583
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	431
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्रधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1465
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं .	1903
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	307
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	501
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	139
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं .	59
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . .	985
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .	87
पूरक संख्या 16—	
17 अप्रैल 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बधी साप्ताहिक रिपोर्ट	621
27 मार्च 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धी आंकड़े .	631

PART I—SECTION. 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	411
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	583
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	431
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1465
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1903
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	307
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	501
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	139
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	59
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	985
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	87
SUPPLEMENT No. 16	
Weekly Epidemiological Reports for weeks ending 17th April 1971	621
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 27th March 1971	63

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 अप्रैल 1971

सं० 24-प्रेज/71—सशस्त्र सेनाओं में दीर्घ सेवाओं के अभिज्ञानार्थ राष्ट्रपति एक मैडल संस्थापित करते हैं तथा इस निमित्त निम्नलिखित अध्यादेश निर्मित, व्यवस्थापित एवं स्थापित करते हैं। अध्यादेश इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से लागू समझा जाएगा।

प्रथम :—यह मैडल "नव वर्ष दीर्घ सेवा मैडल" कहलाएगा।

द्वितीय :—मैडल ताम्रनिकल से बना गोल आकृति में 35 मिलीमीटर व्यास का होगा जिसे सादे समस्तर बार के साथ अधिकृत तरीके से लगाया जाएगा। मैडल के सामने वाले भाग पर राज्य चिन्ह उभरा हुआ होगा और उसके निचले किनारे पर "नव वर्ष 9 Years" अंकित होगा तथा "दीर्घ सेवा" एवं "Long Service" मैडल में राज्य चिन्ह के दोनों ओर किनारों पर अंकित होगा। मैडल के पृष्ठ भाग पर बीच में तीनों सेनाओं के शिखर-चिन्ह होंगे और ऊपर उदय होता हुआ सूर्य होगा। मैडल का एक मुद्रांकृत प्रतिरूप सुरक्षित रखा जायेगा।

तृतीय :—मैडल 32 मिलीमीटर चौड़े रेशमी रिबन से वक्षस्थल पर बायीं ओर लटकाया जाएगा। रिबन मरकत हरे रंग का होगा जो काले रंग की नौ खड़ी धारियों द्वारा दस बराबर भागों में विभक्त होगा।

चतुर्थ :—यह मैडल सशस्त्र सेनाओं के उन समस्त कार्मिकों को प्रदान किया जाएगा जो थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना में सेवारत हैं तथा जिन्होंने इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख को या उसके बाद 9 वर्ष या इससे अधिक निष्कलंक सेवा पूरी कर ली हो।

पंचम :—मैडल प्राप्तकर्ता द्वारा विशेष अवसरों पर धारण किये जाने वाले, मैडल का लघुरूप, मैडल का आधा होगा तथा कथित लघुरूप का एक मुद्रांकृत प्रतिरूप सुरक्षित रखा जाएगा।

षष्ठ :—किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए मैडल को रद्द एवं निराकरण करने तथा बाद में उसे पुनः वापस देने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होंगे।

सप्तम :—सरकार ऐसे अनुदेश जारी करने लिए सक्षम होगी जो इन अध्यादेशों के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए आवश्यक होंगे।

सं० 25-प्रेज/71—सशस्त्र सेनाओं में दीर्घ सेवाओं के अभिज्ञानार्थ राष्ट्रपति एक मैडल संस्थापित करते हैं तथा इस निमित्त निम्नलिखित अध्यादेश निर्मित, व्यवस्थापित एवं स्थापित करते हैं। अध्यादेश इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से लागू समझा जाएगा।

प्रथम :—यह मैडल "विंश वर्ष दीर्घ सेवा मैडल" कहलाएगा।

द्वितीय :—मैडल ताम्रनिकल से बना गोल आकृति में 35 मिलीमीटर व्यास का होगा जिसे सादे समस्तर बार के साथ अधिकृत तरीके से लगाया जाएगा। मैडल के सामने वाले भाग पर राज्य चिन्ह उभरा हुआ होगा और उसके निचले किनारे पर "विंश वर्ष 20 Years" अंकित होगा तथा "दीर्घ सेवा" एवं "Long Service" मैडल में राज्य चिन्ह के दोनों ओर किनारों पर अंकित होगा। मैडल के पृष्ठ भाग पर बीच में तीनों सेनाओं के शिखर-चिन्ह होंगे और ऊपर उदय होता हुआ सूर्य होगा। मैडल का एक मुद्रांकृत प्रतिरूप सुरक्षित रखा जायेगा।

तृतीय :—मैडल 32 मिलीमीटर चौड़े रेशमी रिबन से वक्षस्थल पर बायीं ओर लटकाया जाएगा। रिबन लाल, गहरे नीले तथा हल्के नीले रंगों के इसी क्रम में समान भागों का होगा और हल्का नीला रंग वाला भाग बायें कंधे के निकट होगा।

चतुर्थ :—यह मैडल सशस्त्र सेनाओं के उन समस्त कार्मिकों को प्रदान किया जाएगा जो थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना में सेवारत हैं तथा जिन्होंने इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख को या उसके बाद 20 वर्ष की निष्कलंक सेवा पूरी कर ली हो।

पंचम :—मैडल प्राप्तकर्ता द्वारा विशेष अवसरों पर धारण किये जाने वाले, मैडल का लघु रूप, मैडल का आधा होगा तथा कथित लघुरूप का एक मुद्रांकृत प्रतिरूप सुरक्षित रखा जाएगा।

षष्ठ :—किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए मैडल को रद्द एवं निराकरण करने तथा बाद में उसे वापस देने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होंगे।

सप्तम् :—सरकार ऐसे अनुदेश जारी करने के लिए सक्षम होगी जो इन अध्यादेशों के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए आवश्यक होंगे ।

पे० ना० कृष्ण मणि,
राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल, 1971

सं० आर० एस० 18/71-टी०—उड़ीसा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले, राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य, श्री बांक बिहारी दास ने 4 अप्रैल, 1971 से राज्य सभा में अपना स्थान त्याग दिया है ।

बी० एन० बनर्जी, सचिव

विदेशी व्यापार मंत्रालय

हस्तशिल्प अनुभाग

नई दिल्ली, दिनांक मार्च 1971

संकल्प

सं० 1/8/70-एच० सी०—इस मंत्रालय के संकल्प सं० 1/8/70 एच० सी० दिनांक 7 जनवरी 1971 का आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने जिला कांग्रेस समिति, मुजफ्फरपुर (बिहार) के अध्यक्ष श्री बाबू राम सिन्हा को तत्काल प्रभाव से अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, नई दिल्ली के सदस्य के रूप में नामित करने का विनिश्चय किया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधों को भेजी जाए और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

टी० एस० परमेश्वरन, अवर सचिव

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1970

सं० आर० एम०-5 (6)/70—उष्मसह विशेषज्ञ समिति के गठन के बारे में तारीख 6 फरवरी 1971 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 7-1-1971 के संकल्प संख्या 5(6)/70 का आंशिक संशोधन करते हुए सरकार ने फैसला किया है कि श्री डी० बी० घोष के स्थान पर श्री वी० बी० नादगीर, वरिष्ठ भूविज्ञानिक भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण, 27 जवाहरलाल नेहरू रोड, कलकत्ता-13, इस समिति के सदस्य होंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धिततों को भेज दी जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एम० रामजी, उप सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्रालय

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 1971

संकल्प

सं० 5-9/69-स्थापना-2—इस मंत्रालय के संकल्प सं० 5-9/69-स्थापना-2, दिनांक 14-1-71 के अनुसरण में भारत सरकार ने निर्णय किया है कि केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्थान (जिसका नाम अब राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान हो गया है) के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए गठित की गई मूल्यांकन समिति अपनी रिपोर्ट 31 मई 1971 तक दे दे ।

आदेश

आदेश है कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए ।

आर० पी० मरवाह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 1971

संकल्प

सं० 17-3/71-ए०पी०—जनांकिकीय और संचार अनुसन्धान समिति के पुनर्गठन के बारे में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगर विकास मन्त्रालय (परिवार नियोजन विभाग) के संकल्प संख्या 12-21/68-एफ० पी० (ग्रांट्स), दिनांक 3 नवम्बर 1969 के पैरा 4 में निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ लें:—

समिति की बैठक हर तीसरे महीने बुलाई जाएगी । डा० सी० एन० वकील, डा० पी० एस० लोकनाथन और आयुक्त (परिवार नियोजन और मातृ, शिशु, स्वास्थ्य), परिवार नियोजन विभाग, सह-अध्यक्ष होंगे । अध्यक्ष की गैर-हाजिरी में सह-अध्यक्षों में से एक उपर्युक्त क्रम में समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

आदेश

आदेश है कि संकल्प भारत के राजपत्र मे सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए ।

आदेश है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि समस्त राज्य सरकारों संघ क्षेत्र सरकारों को भेज दी जाए ।

रवीन्द्र नाथ मद्योक, संयुक्त सचिव

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय

पर्यटन विभाग

नई दिल्ली 1, दिनाक जनवरी 1971

संकल्प

सं० 7 टी० एल० (1)/70—पर्यटन-कार परिचालकों को, पर्यटको के प्रयोग के लिए कारों का क्रय करने हेतु, आर्थिक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से भारत सरकार के संकल्प सं० 6 एं० एच० सी० (6)/64 दिनांक 16 जनवरी 1970 द्वारा यथा-स्वीकृत

एक योजना दिनांक 31 जनवरी 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। तत्पश्चात् भारत सरकार के संकल्प सं० 7 टी० एल० (1)/70 दिनांक 13 जुलाई, 1970 द्वारा योजना की शर्तों में कतिपय छूटें प्रदान की गई थी।

पुनश्चय यह निर्णय किया गया कि योजना की कतिपय व्यवस्थाओं को उदार बनाया जाए और उन्हें यात्रा-अभिकर्ताओं, शिकार साज-सामान आयोजको और होटल स्वामियों पर लागू किया जाए। यथासंशोधित योजना अनुबन्ध में दी गई है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए और आम सूचना के लिए इसे भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए।

एन० सहगल, सचिव

अनुबन्ध

पर्यटक परिवहन गाड़ियों की किराया-खरीद (हायर परचेज) से सम्बन्धित अनुदेश

(1) उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य, पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची मे सम्मिलित किए गए पर्यटक गाड़ियों के परिचालको, यात्रा अभिकर्ताओं, शिकार साज-सामान आयोजकों और होटल-स्वामियो को पर्यटक-प्रयोजनों के लिए कारों का क्रय करने हेतु, आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

(2) परिभाषाएं

इन अनुदेशों में, जब तक प्रसंग द्वारा कोई अन्य अर्थ अपेक्षित न हो, तब तक:—

(क) समिति का तात्पर्य इन अनुदेशों के पैरा 3 के अधीन गठित की गई समिति से है।

(ख) महानिदेशक का तात्पर्य पर्यटन के महानिदेशक से है।

(ग) सचिव का तात्पर्य इन अनुदेशों के पैरा 3 के अधीन गठित की गई समिति के सचिव से है।

(घ) गाड़ी का तात्पर्य पर्यटको के परिवहन हेतु प्रयुक्त की जाने वाली पर्यटक परिवहन मोटर गाड़ी से है।

(ङ) व्यापारी का तात्पर्य उस व्यापारी से है जो सम्बन्धित गाड़ी के मेक के विनिर्माताओ, आयात कर्त्ताओं, वितरणकर्त्ताओ अथवा स्टाकिस्टों द्वारा प्राधिकृत गाड़ियों का व्यापार करता है और इसमें भारत का राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) शामिल है।

(3) समिति का गठन

(क) इन अनुदेशों के अधीन गाड़ियों की किराया-खरीद हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्य करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. पर्यटन का महानिदेशक — पदेन अध्यक्ष
2. मार्केटिंग मैनेजर (आई-सी-डी) एस टी सी — पदेन सदस्य
3. वित्त मंत्रालय का उप वित्तीय सलाहकार (पर्यटन) या वित्त मन्त्रालय द्वारा नामित अन्य अधिकारी।
4. सचिव, अतर्राज्य परिवहन आयोग, नौपरिवहन और परिवहन मंत्रालय — पदेन सदस्य
5. विधि सचिव द्वारा नामित, विधि मत्रालय का एक अधिकारी — पदेन सदस्य
6. उप महानिदेशक, पर्यटन विभाग — पदेन सदस्य सचिव

(ख) बैठक में तीन सदस्यों के उपस्थित होने से कोरम पूरा माना जायगा और बैठक के कार्यवृत्त पर अध्यक्ष के और उसकी अनुपस्थिति में सचिव तथा एक सदस्य के हस्ताक्षर होंगे। सभी मामले समिति द्वारा उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों की वोटों के साधारण बहुमत के आधार पर निर्णीत किए जाएंगे और समिति के अध्यक्ष को निर्णायक मत (कास्टिंग वोट) देने का अधिकार होगा।

(4) गाड़ियों के वर्ग

इन अनुदेशों के अधीन केवल निम्नलिखित वर्ग की गाड़ियों की बाबत ही किराया-खरीद की जा सकेगी :—

(1) मोटर-कारें नई और बरती हुई (सैकण्ड हैण्ड)

(2) डीलक्स टाइप की मिनिबसें और ओमनीबसे।

(5) किराया-खरीद के लिए आवेदन

गाड़ी की किराया खरीद का आवेदन इन अनुदेशों के परिशिष्ट 1 में दिए गए प्रपत्र के अनुसार होगा और उसे ऊपर पैरा 3 मे उल्लिखित समिति के सचिव को 6 अतिरिक्त प्रतियों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) आवेदकों की पात्रता

(क) पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची में सम्मिलित किए गए केवल वही गाड़ी परिचालक, यात्रा-अभिकर्ता शिकार साज-सामान आयोजक और होटल स्वामी आवेदन करने के पात्र होंगे जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हो :—

(1) विभाग द्वारा उक्त रूप में मान्यता प्रदान किये जाने की तारीख से आवेदक को कारें परिचालित करते हुए कम से कम एक वर्ष हो गया हो और वह उन का इस दौरान स्वामी भी रहा हो।

(2) उसकी कम से कम तीन गाड़ियां चलती हों और वह उनका स्वामी हो किन्तु यात्रा-अभिकर्त्ताओं, शिकार साज-सामान आयोजकों और होटल स्वामियों के मामले मे इस शर्त से छूट दी जा सकती है।

(3) वह विभागीय अनुदेशों, नियमो, अथवा विनियमों में किसी का उल्लंघन करने या विभाग के साथ किये

गये किसी भी करार अथवा संविदा को भंग करने का दोषी न पाया गया हो। साथ ही वह किसी लागू कानून के अधीन किसी भी अपराध में दोषी न पाया गया हो।

(ख) किराया खरीद के आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रलेख भी संलग्न किये जाने चाहिए :- –

(1) आयकर भुगतान का प्रमाण पत्र

(2) पिछले तीन वर्षों के पर्यटन व्यवसाय का लेखा-परीक्षित हानि-लाभ लेखा और तुलन-पत्र (बैलेंसशीट

(3) पिछले तीन कैलेण्डर वर्षों में किये गए विदेशी मुद्रा के उपार्जन को, यदि कोई हो तो दिखाने वाला विवरण जिसे सम्बद्ध यात्रा अभिकर्त्ताओं, होटलों, हवाई कंपनियों, बैंकों आदि द्वारा यथोचित रूप से प्रमाणित किया गया हो।

(7) आवेदन पत्र की संवीक्षा

सचिव उसे प्राप्त हुए प्रत्येक आवेदन की ध्यान पूर्वक संवीक्षा कराएगा तथा आवेदन-पत्र के भाग 'ख' में उसके बारे में अपने विचार अंकति करेगा और शीघ्र से शीघ्र उसे समिति के सामने विचारार्थ रखेगा।

(8) समिति का निर्णय

समिति का निर्णय आवेदन पत्र के भाग 'ग' में दर्ज किया जाएगा और उस पर अध्यक्ष के, अथवा उसकी अनुपस्थिति में, एक सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षर होंगे।

(9) सरकार द्वारा अंशदान

गाड़ी व्यापारी से राष्ट्रपति के नाम जिसका उल्लेख इसके आगे, सरकार शब्द से किया जाएगा खरीदी जाएगी और सरकार द्वारा दिया गया अंशदान गाड़ी की कुल कीमत के 2/3 अथवा 60,000 रुपयों से, इनमें जो भी कम हो, अधिक नहीं होगा। गाड़ी की शेष कीमत का भुगतान, नीचे पैरा 11 के अनुसार किराया खरीद के करार का निष्पादन करने से पहले, आवेदक द्वारा गाड़ी की खरीद के लिए महानिदेशक को एक-मुश्त रूप किया जाएगा।

(10) करार का निपादन

गाड़ी की खरीद के लिए महानिदेशक को अपने अंशदान का भुगतान करने के बाद आवेदक, उक्त गाड़ी की बाबत, सरकार के साथ एक किराया खरीद के करार का निष्पादन करेगा।

(11) गाड़ी की सुपुर्दगी

ऊपर पैरा 9 में उल्लिखित अदायगी करने के पश्चात और ऊपर पैरा 10 में उल्लिखित किराया खरीद के करार के निष्पादन करने के बाद सरकार द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर, आवेदक सरकार की और से गाड़ी ले लेगा और तदुपरान्त गाड़ी पर सरकार का स्वामित्व हो जाएगा।

(12) किराये की किस्तों की अदायगी

आवेदक, गाड़ी की कीमत में सरकार के अंशदान की वापसी, उस पर ब्याज सहित, किराए की त्रैमासिक किस्तों में करेगा, जो स्वदेश में निर्मित कारों के मामले में 8 और अन्य कारों के मामलों में 16 से अधिक नहीं होंगी। पहली किस्त, सरकार द्वारा व्यापारी को कीमत का भुगतान करने के तीन महीने बाद देय हो जायेगी। भुगतान के लिए नियत तारीखों तथा किराए की किस्तों की राशि का निर्देश ऊपर पैरा 10 में निर्दिष्ट किराया खरीद के करार में होगा। किराए की प्रत्येक किस्त की राशि इस प्रकार निर्धारित की जाएगी जिससे सरकार को अपने अंशदान पर, व्यापारी को कीमत की अदायगी करने के समय प्रचलित बैंक दर से 4 1/2 % वार्षिक अधिक की दर पर ब्याज मिल सके। सरकार के अंशदान पर ब्याज में 2½ प्रतिशत घटौती प्रदान की जाएगी, यदि किरायों की किस्तों की अदायगी, करार में नियत की गई तारीखों पर अविलम्ब रूप से कर दी जायेगी और आवेदक द्वारा अन्य कोई त्रुटि न की गई होगी। करार में, घटौती की राशि का, और उसके साथ-साथ अविलम्ब अदायगी करने के मामलों में देय निवल-राशि का, भी निर्देश किया जाएगा। आवेदक को, किन्हीं भी किराए की किस्तों के निर्धारित समय पर न दिये जाने की स्थिति में उनकी राशियों पर त्रुटि की तारीख से किस्त की अदायगी की तारीख तक, व्यापारी को कीमत की अदायगी करने के समय प्रचलित बैंक-दर से 4½ प्रतिशत वार्षिक अधिक की दर पर देना होगा।

(ख) किराए की प्रत्येक त्रैमासिक किस्त जहां तक कि किराये की किस्त के मूलधन भाग का सम्बध है, आवेदक द्वारा चालान तीन प्रतियों में भर कर सरकारी खजाने के खाते में सेक्शन 'पी-केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले कर्ज और पेशगियां-स्थानीय निधियों को कर्ज-गैरसरकारी पार्टियां आदि-विविध कर्ज और पेशगियां-अन्य पार्टियों को कर्ज, के अन्तर्गत जमा कराई जाएगी और जहां तक किराए की प्रत्येक किस्त के ब्याज भाग का सम्बध है, उसे प्राप्तिशीर्ष ' XVi ब्याज-सी अन्य प्राप्तियां–केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए कर्ज और पेशगियों पर ब्याज-विविध कर्ज और पेशगियां-अन्य पार्टियों को दिए गए कर्ज पर ब्याज, 'में जमा कराया जायेगा। किराए की प्रत्येक किस्त से सम्बन्धित मूलधन और ब्याज की राशियों का किराया-खरीद के करार में पृथक निर्देश किया जाएगा।

(ग) जब उपरोक्त राशियां सरकारी खजाने में जमा करा दी जाए तो रसीदी चालान की एक प्रति सचिव को भेजी जाएगी।

(13) आवेदक के अंश की वापसी

ऊपर पैरा 9 में निर्दिष्ट गाड़ी की कीमत में आवेदक के अंश की प्राथमिक एक-मुश्त राशियों की सरकार को प्राप्ति हो जाने पर यदि सरकार किसी कारण से गाड़ी नहीं लेती तो आवेदक द्वारा अदा की गई उक्त राशियां आवेदक को लौटा दी जाएंगी। आवेदक सरकार से उक्त राशियों पर ब्याज लेने का हकदार नहीं होगा।

(14) आवेदक का अधिकार

सरकार को किराए की सभी त्रैमासिक किस्तों की और साथ ही किराया खरीद के करार के अधीन आवेदक द्वारा सरकार को देय अन्य किसी भी धन-राशि की पूरी पूरी अदायगी करने के बाद आवेदक को यह अधिकार होगा कि वह गाड़ी का स्वामित्व बदलवा कर अपने नाम करवा ले।

(15) करार का समापन

यदि आवेदक, किराए की त्रैमासिक किस्तों की अदायगी उन तारीखों पर नहीं करता जिन पर कि वे देय होती हैं तो सरकार को

यह अधिकार होगा कि वह ऊपर पैरा 10 के अधीन निष्पादित करार को समाप्त कर दे, और इस प्रकार करार की समाप्ति होने पर आवेदक द्वारा दी गई राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी और समिति आगे पैरा 25 में विनिर्दिष्ट कार्रवाई कर सकती है।

(16) गारंटी

वापसी की समस्त अवधि, के लिये, जिसमें बढ़ाई गई अवधि यदि कोई हो तो वह भी शामिल होगी, किराए की किस्तों की समस्त राशि की यथोचित वापसी के लिए आवेदक एक गारंटी देगा :—

(क) जिसके अनुसार वह अपने फ्लीट में से किसी दूसरी अभार-ग्रस्त (अन-एनकम्बर्ड) गाड़ी को जो समिति को मंजूर हो, समिति की संतुष्टि के अनुसार दृष्टि-बंधक रखेगा।

अथवा

(ख) किसी अन्य मान्यता प्राप्त परिचालक से एक अभार-गाड़ी को जो समिति को मंजूर हो, दृष्टि-बंधक रखा कर समिति की संतुष्टी के अनुसार एक गॅारंटी देगा।

गारंटी तब तक चालू रहेगी जब तक कि किराए की सारी किस्तों की अदायगी पूरी न हो जाए और आवेदक द्वारा निष्पादित किराया खरीद के करार की शर्तों के अनुसार गाड़ी का स्वामित्व आवेदक को हस्तांतरित न हो जाए तथा सरकार की इस सम्बन्ध में सन्तुष्टि न हो जाए कि आवेदक से प्राप्त कोई राशि अब देय नहीं रही है।

नोट:—उपर्युक्त गारंटी देना, उन गाड़ियों के मामलों में अपेक्षित नहीं होगा जिन में सरकार का अंशदान 15,000/- रुपए से अधिक नहीं है।

(17) गाड़ी का बीमा

आवेदक अपने खर्च पर गाड़ी का सभी प्रकार के जोखमों के विरुद्ध उस के बाजार के अनुसार पूरे मूल्य के लिए, जीवन बीमा निगम अथवा समिति द्वारा अनुमोदित किसी भी अन्य बीमा कम्पनी द्वारा पूर्णरूप से बीमा करवाएगा और उसको उतनी ही राशि के लिए अथवा उस राशि के लिए जो किराए की शेष किस्तों के पूर्ण योग से कम न हो, तब तक बीमा करवाये रखेगा, जब तक कि किराए की समस्त किस्तें चुका न दी जाएं और गाड़ी का स्वामित्व आवेदक को हस्तांतरित न हो जाए। आवेदक बीमा-प्रमाण-पत्र अपने पास रखेगा, जब कि बीमे की पालिसी सचिव के पास जमा करानी होगी। इस प्रकार तैयार कराई गई बीमे की पालिसी में एक इस आशय का प्रावधान (क्लाज) होगा कि केन्द्रीय सरकार इस पालिसी में अपना स्वत्वाधिकार रखती है और इस बीमे की पालिसी के अधीन जो भी धन-राशियां देय होंगी उन सब का भुगतान सरकार को किया जाएगा ;

(18) किराया खरीद के करार के अधीन पूरी देय धन-राशि का भुगतान किया जाने पर बीमे की पालिसी में से उपरोक्त आशय का पृष्ठांकन एंडोर्समेंट जाएगा।

यह आवेदक का दायित्व होगा कि वह बीमा—पालिसी को तब तक चालू रखे जब तक कि किराया-खरीद के करार के अनुसार गाड़ी पर उसका स्वामित्व नहीं होता इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह बीमे की पालिसी की किस्तों की राशि भुगतान की तारीखों से काफी पहले भेजेगा और बीमे की प्रदत्त किस्तों की रसीदों को वार्षिक रूप से भेजता रहेगा। तथा गाड़ी से सम्बन्धित मौजूदा बीमा पालिसी की समाप्ति से 21 दिन पूर्व उन रसीद/ रसीदों को सचिव को प्रस्तुत करेगा।

(19) गाड़ी का निरीक्षण

आवेदक, गाड़ी के क्रय के एक सप्ताह के भीतर तथा उसके बाद जब तक गाड़ी, सुपुर्दगी की तारीख के बाद, एक लाख मील न चल चुकी हो, या गाड़ी की सुपुर्दगी के बाद तीन साल न बीत चुके हों, अथवा सरकार को देय सभी राशियों का भुगतान करने के बाद गाड़ी का स्वामित्व आवेदक के नाम हस्तांतरित न हो चुका हो, इन में जो भी बाद में हो, तब तक किसी भी समय, गाड़ी, लाग-बुकों और लेखा-पुस्तकों को महानिदेशक द्वारा इस कार्य के लिये प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति के समक्ष निरीक्षण के लिए, तुरन्त पेश करेगा। लाग-बुक में अन्य बातों के साथ-साथ काल-क्रमानुसार जिन पर्यटकों व्यक्तियों, के लिए गाड़ी का प्रयोग किया गया हो, और जिन स्थानों की गाड़ी द्वारा यात्रा की गई हो तथा जितनी मील दूरी तय की गई हो, इत्यादि सब बातों से सम्बन्धित प्रविष्टियां भी दर्ज होनी चाहिएं। लाग-बुक के परिशिष्ट में गाड़ी के अनुरक्षण, मरम्मत, पुर्जों की रद्दोबदल तथा उन पर हुए व्यय का भी निर्देश होना चाहिए।

(20) आवेदक हर समय गाड़ी का अपनी लागत पर अनुरक्षण करता रहेगा ताकि वह हर समय अच्छी हालत में चलती रहे। यदि ऊपर पैरा 19 में अपेक्षित गाड़ी के निरीक्षण के दौरान यह बात दृष्टि में आए कि गाड़ी का अनुरक्षण ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, तो वह आवेदक द्वारा की गई चूक समझी जाएगी और सरकार को गाड़ी पर तुरन्त कब्जा करने का अधिकार होगा।

(21) सुपुर्दगी की तारीख से लेकर जब तक गाड़ी एक लाख मील न चल चुकी हो अथवा जब तक कि गाड़ी की सुपुर्दगी के बाद, यदि गाड़ी पुरानी है तो तीन वर्ष, और यदि गाड़ी नई है तो पांच वर्ष न बीत चुके हों, अथवा जब तक कि सरकार को देय सभी राशियों का भुगतान करने के बाद गाड़ी का स्वामित्व आवेदक को हस्तान्तरित न हुआ हो, इन में जो भी बाद में हो, तब तक आवेदक गाड़ी को न बेचेगा, न उसका संक्रामण करेगा, न उसे गिरवी रखवाएगा और न उसपर कोई प्रभार (चार्ज) या भार (एनकम्बरेंस) उत्पन्न करेगा। सचिव को चाहिए कि वह पंजीकरण प्रमाण-पत्र में उक्त आशय का एक पृष्ठांकन (एंडोर्समेंट) कराने की व्यवस्था करे।

(22) दीर्घावधि के लिए किराए पर देना

उपर्युक्त किराया—खरीद करार के अधीन सरकार से ली जाने वाली गाड़ी किसी भी ग्राहक को, जो विदेशी पर्यटक नहीं है, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना 7 दिन से अधिक की अवधि के लिए नहीं दी जाएगी।

(23) आवेदक का पर्यटन विभाग के प्रति दायित्व

आवेदक का यह दायित्व होगा कि सचिव या महानिदेशक द्वारा हस्ताक्षरित 48 घंटे पूर्व लिखित सूचना दिए जाने पर

विदेशी पर्यटकों को गाड़ी में ले जाने के लिए पर्यटन विभाग की मांग को पूरा करेगा। परन्तु यह दायित्व इस स्थिति के सापेक्ष होगा कि गाड़ी इससे पहले किसी अन्य विदेशी पर्यटक के लिए बुक न की गई हो।

(24) विवरण और विवरणियां भेजने का दायित्व

आवेदक, विदेशी पर्यतकों के नाम उनसे लिए गए किराए और अन्य ब्यौरों की बाबत, ऐसे सभी विवरण और विवरणिय प्रस्तुत करेगा जिनकी समिति द्वारा समय समय पर मांग की जाए।

(25) आवेदक द्वारा हुई त्रुटियां

यदि किराए की किसी भी किस्त के भुगतान में अथवा किराया खरीद के करार की शर्तों में किसी एक के भी पालन में आवेदक से चूक होती है तो समिति अपने संविवेक पर, और ममले के गुण-दोषों पर विचार करते हुए :—

(क) आवेदक के खर्चे पर, गाड़ी पर कब्जा कर सकती, और/या

(ख) उपर्युक्त कार्रवाई के साथ साथ या इसके बजाय आवेदक से प्राप्त शेष राशि की वसूली के लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकती है।

(ग) त्रुटि का सर्वथा क्षमाकर सकती है, या

(घ) भाड़ेदार द्वारा दी गई गारंटी को उस पर लागू कर सकती है।

(ङ) ऐसी अन्य शर्तों पर जिन्हें भी समुचित समझा जाय यह मंजूर कर सकती है कि आवेदक, गाड़ी पर कब्जा किए रहे।

(26) उक्त अनुदेशों का कार्य-क्षेत्र

निष्पादित किया जाने वाला किराया खरीद का करार पर्याप्त रूप से व्यापक एवं स्वत:पूर्ण होगा और इन अनुदेशों में दी गई विविध व्यवस्थाओं का अधिक्रमण करेगा।

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 19th April 1971

No. 24-*Pres.*/71.—The President is pleased to institute a Medal for the Armed Forces for recognition of long service and in this behalf to make, ordain and establish the following ordinances which shall be deemed to have effect from the date of issue of this Notification.

Firstly.—The medal shall be styled and designated the नववर्ष दीर्घ सेवा मेडल "9 YEARS LONG SERVICE MEDAL".

Secondly.—The medal shall be circular in shape, made of cupro-nickel, 35 millimetres in diameter and fitted to a plain horizontal bar with standard fitting. It shall have embossed on its obverse the State Emblem and the inscriptions " नव वर्ष " "9 YEARS" below it along the rim, and "दीर्घ सेवा" and 'LONG SERVICE" on either side of the State Emblem along the rim. On its reverse it shall have crest of the three Services in the centre with rising sun on the top. A sealed pattern of the medal shall be deposited and kept.

Thirdly.—The medal shall be worn suspended from the left breast by a silk ribbon which shall be 32 millimetres in width. The ribbon shall be emerald green in colour, divided into ten equal parts by nine vertical stripes in black colour.

Fourthly.—The medal shall be awarded to all Armed Forces personnel serving in the Army, the Navy and the Air Force, on completion of unblemished service of 9 years and more on the date of issue of this notification or thereafter.

Fifthly.—The miniature medal which may be worn on certain occasions by recipients shall be half of the size of the medal and a sealed pattern of the said miniature medal shall be deposited and kept.

Sixthly.—It shall be competent for the President to cancel and annual the award of the medal to any person and also to restore it subsequently.

Seventhly. It shall be competent for the Government to frame such instructions as may be necessary to carry out the purposes of these ordinances.

No. 25-*Pres.*/71.—The President is pleased to institute a medal for the Armed Forces for recognition of long service and in this behalf to make, ordain and establish the following ordinances which shall be deemed to have effect from the date of issue of this notification.

Firstly.—The medal shall be styled and designated the विंश वर्ष दीर्घ सेवा मेडल "20 YEARS LONG SERVICE MEDAL".

Secondly.—The medal shall be circular in shape, made of cupro-nickel, 35 millimetres in diameter and fitted to a plain horizontal bar with standard fitting. It shall have embossed on its obverse the State Emblem and the inscriptions " विंश वर्ष "20 YEARS" below it along the rim, and "दीर्घ सेवा and "LONG SERVISE" on either side of the State Emblem along the rim. On its reverse it shall have crest of three Services in the centre with rising sun on the top. A sealed pattern of the medal shall be deposited and kept.

Thirdly.—The medal shall be worn suspended from left breast by a silk ribbon which shall be 32 millimetres in width. The ribbon shall be of red, dark blue and light blue colours in equal parts in that order, the light blue colour being worn nearest to the left shoulder.

Fourthly.—The medal shall be awarded to all Armed Forces personnel serving in the Army, the Navy and the Air Force, on completion of unblemished service of 20 years and more on the date of issue of this notification or thereafter.

Fifthly.—The miniature medal which may be worn on certain occasions by recipients shall be half of the size of the medal and a sealed pattern of the said miniature medal shall be deposited and kept.

Sixthly.—It shall be competent for the President to cancel and annual the award of medal to any person and also to restore it subsequently.

Seventhly.—It shall be competent for the Government to frame such instructions as may be necessary to carry out the purposes of these ordinances.

P. N. KRISHNA MANI, Jt. Secy. to the President

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 5th April 1971

*No. RS.*18/71-*T.*—Shri Banka Behary Das, an elected Member of the Rajya Sabha representing the State of Orissa, has resigned his seat in the Rajya Sabha from the 4th April, 1971.

B. N. BANNERJEE, Secy.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

(Handicrafts Sections)

RESOLUTION

New Delhi, the 31st March 1971

No. 1/8/70-*HC.*—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 1/8/70-HS. dated the 7th January, 1971, the Government of India have decided to nominate Shri Ram Babu Sinha, President, District Congress Committee, Muzaffarpur (Bihar) as a member of the All India Handicrafts Board, New Delhi with immediate effect.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

T. S. PARAMESWARAN, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING

RESOLUTION

New Delhi, the 1st April 1971

No. RM-5(6)/70.—In partial modification of the Resolution No. 5(6)/70, dated 7-1-1971 published in the Gazette of India on 6th February, 1971, regarding setting up of the Expert Committee on Refractories, Government have decided that Shri B. B. Nadgir, Senior Geologist of Geological Survey of India, 27 Jawahar Lal Nehru Road, Calcutta-13, will be its Member in place of Shri D. B. Ghosh.

ORDER

ORDERED that copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. RAMJI, Dy. Secy.

MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING, WORKS HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

(Department of Family Planning)

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd April 1971

No. 5-9/69-*Estt.II*.—In continuation of this Ministry's Resolution No. 5-9/69-Estt.II, dated 14-1-71, the Government of India have decided that the Evaluation Committee set up to evaluate the work of the Central Family Planning Institute, (now renamed as National Institute of Family Planning), New Delhi, may present its reports by the 31st May, 1971.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. P. MARWAHA, Under Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 2nd April 1971

No. 17-3/71-*AP*.—In the Ministry of Health, Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Department of Family Planning Resolution No. 12-21/68-FP (Grants), dated the 3rd November, 1969 relating to the reconstitution of the Demographic and Communication Action Research Committee, the following addition may be made in paragraph 4 :—

The Committee shall meet every three months. Dr. C. N. Vakil, Dr. P. S. Lokanathan and Commissioner (FP & MCH), Department of Family Planning, shall be co-chairmen. One of the Co-chairman in the above order will preside over the meeting of the Committee in the absence of the Chairman.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for information.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments/Union Territory Administrations.

R. N. MADHOK, Jt. Secy. (FP)

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

Department of Tourism

RESOLUTION

New Delhi, the 14th January 1971

No. VII-TL(1)/70.—A scheme to provide financial assistance to tourist car operators for the purchase of cars for the use of tourists, as sanctioned in Government of India Resolution bearing No. 6-AHC(6)/64, dated the 16th January, 1970, was published in the Gazette of India dated the 31st January, 1970. Certain relaxations in the terms and conditions of the scheme were made subsequently *vide* Government of India Resolution No. VII-TL(1)/70, dated the 13th July, 1970.

It has been decided to further liberalise certain provisions of the scheme and to extend it to travel agents, shikar outfitters and hoteliers. The scheme as amended is given in the Annexure.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

N. SAHGAL, Secy.

INSTRUCTIONS FOR THE HIRE PURCHASE OF TOURIST TRANSPORT VEHICLES

(1) *Objective*

"The objective of the scheme is to provide financial assistance to tourist car operators, travel agents, shikar outfitters and hoteliers on the approved list of the Department of Tourism, for the purchase of cars for tourist purposes".

(2) *Definitions*

In these instructions unless the context otherwise requires :

(a) Committee means the Committee constituted under para 3 of the Instructions.

(b) Director General means the Director General of Tourism.

(c) Secretary means the Secretary of the Committee constituted under para 3 of these Instructions.

(d) Vehicle means the tourist transport motor vehicle used for transport of tourists.

(e) Dealer is one who deals in vehicles duly authorised by the manufacturers, importers, distributors or stockists of the make of the concerned vehicle and includes State Trading Corporation of India Ltd.

(3) *Constitution of the Committee*

(a) A committee shall be constituted to deal with the applications for the hire purchase of vehicles under these instructions and shall consist of the following :—

Ex-Officio Chairman

1. Addl. Director General of Tourist.

Ex-Officio Members

2. Marketing Manager (ICD) S.T.C.
3. Deputy Financial Adviser (T), Ministry of Finance or any other officer nominated by the Ministry of Finance.
4. Secretary, Inter-State Transport Commission, Ministry of Shipping & Transport.
5. An officer from the Ministry of Law to be nominated by Law Secretary.

Ex-Officio Member-Secretary

Dy. Director General Department of Tourism.

(b) Three Members present in person shall be a quorum for a meeting and the minutes of the meeting shall be signed by the Chairman or in his absence by the Secretary and a Member. All issues shall be decided by the Committee by a simple majority of votes of the Members present and voting and the Chairman of the Committee shall have a casting vote.

(4) *Categories of Vehicles*

Hire purchase under these instructions shall be only in respect of the vehicles of the following categories :

(1) Motor Cars—new and second hand.

(2) Minibuses, omnibuses of the deluxe type.

(5) *Application for Hire Purchase*

Application for hire purchase of vehicle shall be made in the form given in appendix I of these instructions and shall be submitted with 6 additional copies to the Secretary of the Committee mentioned in para 3 supra.

(6) *Eligibility of Applicants*

Only operators of vehicles, travel agents, shikar outfitters and hoteliers on the approved list of the Department of Tourism, who satisfy the undermentioned conditions are eligible to apply.

1. The applicant should have been owning and running cars for at least one year from the date of his recognition as such by the Department.
2. He shall own and run at least a fleet of three vehicles but in the case of travel agents, shikar outfitters and hoteliers this condition may be vaived.
3. He must not have been found guilty of violating any of the departmental instructions, rules or regulations or breach of any agreement or contract executed with the Department. Also he must not have been found guilty of any offence under any law in force.

(b) The application for hire purchase should be accompanied by the undermentioned documents :—

1. Income-tax clearance certificate.
2. Audited profit & loss account asd balance sheet pertaining to the tourist business for the last 3 years.
3. A statement showing his earnings in foreign exchange, if any, for the 3 previous calender years duly certified by the concerned Travel Agents, Hotels, Airlines, Banks etc.

(7) *Scrutiny of the Application*

The Secretary shall have every application received by him scrutinised carefully and record his views thereon in part B of the application and place the same for consideration of the Committee as early as possible.

(8) *Decision of the Committee*

The decision of the Committee shall be recorded in part C of the application and signed by the Chairman or in his absence by a Member and the Secretary.

(9) *Government's Contribution*

The vehicle will be purchased from the dealer in the name of the President hereinafter called the Government and the Government's contribution towards the price of the vehicle shall not exceed 2/3 of the total price of the vehicle or Rs. 60,000/- whichever is less. The rest of the price of the vehicle shall be paid by the applicant in one lumpsum to the Director-General towards the purchase of the vehicle before the hire-purchase agreement is executed as per para 11 infra.

(10) *Execution of the Agreement*

The applicant shall execute a hire-purchase agreement with the Government in respect of the vehicle on payment of his contribution towards the price of the vehicle to the Director-General.

(11) *Delivery of the Vehicle*

After the payment mentioned in para 9 supra is made by the applicant to the Director General and after the execution by him of the hire-purchase agreement mentioned in para (10) supra the applicant on being authorised in this regard shall take delivery of the vehicle on behalf of Government and thereupon the Government shall become the owner of the vehicle.

(12) *Payment of Hire Instalment*

The applicant shall repay the Government's contribution towards the price of the vehicle together with interest thereon in not more than 8 quarterly instalments of hire in the case of indigenous cars and 16 quarterly instalments in others, the first instalment being payable three months after the date of payment of the price of the Government to the dealer. The due dates as well as the amounts of hire instalments will be indicated in the hire purchase agreement mentioned in para 10 supra. The amount of each hire instalment shall be so determined as to yield an interest on Government contribution of 4½% per annum above the bank rate prevailing at the time of payment of the price, to the dealer. A rebate in interest of 2½% on the Government's contribution will be allowed if the hire instalments are paid promptly on the due dates mentioned in the agreement and the application has not committed any other default. The amount of rebate as well as the net amount payable in case of prompt payments will also be indicated in the agreement. Interest will be charged on the amounts of any hire instalments overdue at 4½% per annum above the bank rate prevailing at the time of payment of the price to the dealer from the date of default to date of payment.

(b) Each quarterly hire instalment shall be paid by the applicant in Government Treasury under a challan in triplicate for credit under Section "P-loans and Advances by the Central Government—Loans to Local Funds—Private parties, etc.—Miscellaneous Loans and Advances—Loans to other Parties" so far as the principal part of the hire instalment is concerned and to the receipt head "XVI Interest—C. Other Interest—Receipts—Interest on Loans and Advances by the Central Government—Misc. Loans and Advances—Interest on Loans to other parties", the interest part of each hire instalment. The amounts of principal and interest relating to each hire instalment will be indicated separately in the hire purchase agreement.

(c) When the above said amounts are paid into the Government Treasury, one copy of the receipted challan shall be sent to the Secretary.

13. *Refund of the Applicant's Share*

After the receipt by the Government of the initial lumpsum amounts of the applicant's share of the price referred to in para 9 supra if the Government for any reason does not procure the vehicle the amounts so paid by the applicant shall be refunded to him and the applicant will not be entitled to interest thereon from Government.

14. *Applicant's Right*

On full payment to the Government of all the quarterly hire instalments as well as any other sum of money which may become payable to Government by the applicant under the hire purchase agreement, the applicant shall have a right to get ownership of the vehicle transferred in his name.

15. *Termination of the Agreement*

The Government reserves the right to terminate the agreement executed under para 10 supra if the applicant makes any default in the payment of the quarterly hire instalment on the dates on which they have become due and on such termination the amount contributed by the applicant shall become forefeited to the Government and the Committee may take action as indicated in para 25 infra.

16. *Guarantee*

For the due repayment of the entire amount of hire instalments covering the full period of repayment, including extended period if any, the applicant shall furnish a guarantee :

(a) by hypothecating to the satisfaction of the Committee another unencumbered vehicle acceptable to the Committee from his fleet.

or

(b) a guarantee to the satisfaction of the Committee from another recognised operator in the form of hypothecation of an unencumbered vehicle acceptable to the Committee.

The guarantee shall remain in force till all the hire instalments are paid and the applicant gets the right of the ownership transferred in his name in terms of the hir e purchase agreement executed by him and the Government is satisfied that nothing is due from the applicant.

NOTE :—The above guarantee shall not be required to be furnished in case of vehicles in which Government contribution does not exceed Rs. 15,000/-.

17. *Insurance of the Vehicle*

The applicant shall get the vehicle comprehensively insured for its full market value against all risks at his own cost with the LIC or any other Insurance Company approved by the Committee and shall always keep the vehicle so insured for the same amount or in any case not less than the aggregate of the remaining hire instalments till all the hire instalments policy will be deposited with the Secretary. In the insurance are paid and the ownership of the vehicle transferred to the applicant. The applicant shall retain the insurance certificate with him while the insurance policy will be deposited with the Secretary. In the insurance policy so taken there shall be clause to the effect that the Central Government is interested in the policy and that all moneys payable under the insurance policy will be paid to the Government.

18. After the full money payable under the Hire purchase agreement is paid the endorsement in the Insurance policy to the above effect shall be deleted.

It shall be the obligation of the applicant to keep the insurance policy in force till he becomes the owner of the vehicle as per the hire purchase agreement. For this purpose he shall remit the amount of the premia on the insurance policy well before the due dates and send such premia receipt(s) annually and submit it (them) to the Secretary 21 days before the date of expiry of the existing insurance policy pertaining to the vehicle.

19. *Inspection of the Vehicles*

The applicant shall produce the vehicle and the log books and the account books for inspection by any person authorised by the Additional Director-General in that behalf within a week of the purchase of vehicle and also at any time thereafter till the vehicle has run one lakh miles after the date of delivery of the vehicle or till 3 years have expired from the date of taking delivery of the vehicle or till the ownership of the vehicle is transferred to the applicant after all the dues to the Government are paid whichever is later. The log book *inter alia* should contain entries choronologically written relating to the tourists/persons for whom the vehicles are used, places visited, mileage run etc. In the Appendix of the log book the particulars of maintenance, repairs, replacement of parts relating to the vehicle along with the expenditure incurred thereon should also be indicated.

20. The applicant shall at all times maintain the vehicle at his own cost so that it is always kept in good running condition. If at any time it is noticed during the inspection of the vehicle contemplated in para 19 supra that the vehicle is not being maintained properly, the applicant shall be deemed to have committed a default and Government shall have the right to take immediate possession for the vehicle.

21. The applicant shall not sell or alienate or mortagage or create any charge or encumbrance on the vehicle till the vehicle has run one lakh miles from the date of taking delivery or till 3 years in the case of second-hand vehicle and five years in the case of new vehicles have expired from the date of taking delivery of the vehicle or the ownership is transferred to the applicant after all the dues are paid to the Government whichever is later. The Secretary should arrange to have an endorsement made to the above effect in the registration certificate.

22. *Long Term Hire*

The vehicle held under hire purchase agreement as aforesaid from the Government will not be hired out to any customer who is not a foreign tourist for a period exceeding 7 days at a time without the prior permission of the Government.

23. *Applicant's Obligation to Tourist Department*

The applicant will be obliged to honour the requisition of the Tourist Department to carry foreign tourists at 48 hours notice in writing signed by the Secretary or the Director General. This obligation will, however, be subject to any prior booking of the tourist motor vehicle for any other foreign tourist.

24. *Obligation to Submit Statements and Returns*

The applicant shall submit such statements or returns regarding the names of foreign tourists, amounts of hire charged from them and any other particulars as may be called for by the Committee from time to time.

25. *Default by the Applicant*

If any default is committed by the applicant in the payment of any hire instalment or in complying with any of the terms or conditions of the hire purchase agreement, the Committee may at its discretion and depending on the merits of the case :—

(a) take possession of the vehicle at the cost of the applicant; and/or

(b) in addition to the above or in the alternative may seek to recover the amount remaining due from the applicant by any legal proceedings;

(c) condone the default altogether; or

(d) enforce the guarantee as furnished by the hirer; or

(e) agree to the applicant retaining possesesion of the Vehicle on such further terms as may be deemed fit.

26. *Scope of these Instructions*

The hire purchase agreement to be executed shall be comprehensive and self-contained and will be in supersession of the various provisions in these instructions.

APPENDIX I

Application for the Hire purchase of Tourist Transport Vehicle

1. Name of the applicant (with full business/office address, telephone No. etc.).

2. Particulars indicating whether the applicant is a proprietory concern or body corporate/an association of persons or otherwise. (A copy of registration certificate, date of incorporation, date of commencement of business etc. wherever applicable may be given. In case of individuals, age, father's name and residential address may be given).

3. Full particulars of the present assets of and income from the car hire business along with the audited profit & loss account and balance sheet for the previous three years duly certified by a Chartered Accountant (Income Tax Clearance Certificate as well as statement showing the applicant's earnings in foreign exchange for the three previous years duly certified by the concerned Travel Agents, Hotels, Airlines, Banks etc. may also be attached).

4. Full particulars of the existing liabilities by way of loan from the Government or private or public bodies or any other individuals or others indicating the rate of interest, mode of repayment, the securities given against each and also whether there had been any default in repayment of these loans.

5. Income from any other business supported by a copy of the audited accounts and balance sheet for the last three years.

6. Particulars of any other properties or investment belonging to the applicant indicating whether they are encumbered or free from any encumbrance.

7. Particulars of Bank accounts with the name of the Bank and the branch supported by attested monthly summary of the transactions for the last three years.

8. No. of motor vehicles that are being owned and run at present with their full particulars, including names of drivers who can speak English. Indicate also the dates from which each vehicle is being owned and run.

9. Date of recognition of the applicant by the Department of Tourism and Tourist Car Operator, Travel Agent, Shikar Outfitter and hotelier (Particulars of letter No. & date conveying the approval may please be indicated.).

10. Particulars of any other agreement or contract of any kind entered into by the applicant with the Government during the past 5 years.

11. Amount of contribution required from Government towards the price (See para 9 of the Instructions).

12. The number of hire instalments in which the applicant proposes to repay the Government contribution with interest (see para 12 of the Instructions).

13. Particulars of other loans if any taken by the applicant for the purchase of this vehicle from any other source with details of interest payable, security offered and other conditions.

14. Total price of the vehicle and terms of payment etc. with the dealer.

15. Details of the vehicle proposed to the purchased and the name and complete address of the dealer from whom the vehicle is to be purchased.

16. Details of guarantee proposed to be furnished in respect of the due repayment of all hire instalments to the Government. (Please see also note below para 16 of the Instructions).

17. Other information, if any.

I hereby declare and state that I have fully gone through the Instructions for the hire purchase of tourist transport vehicles and agree to the conditions mentioned therein

I further agree to abide by all the conditions of hire purchase as per terms of the hire purchase agreement the specimen form of which I have read and understood. The facts stated in this application are correct. I will use the vehicle as tourist taxi only in terms of the said Instructions and the agreement.

I further declare and state that I have not violated any departmental instructions, rules, or regulations or of any agreement or contract with the Government.

APPLICANT

Date :

Witnesses :

1.

2.

PART B

The facts mentioned in the application have been verified and found correct except in regard to items————for which no information is available with us.

The inspection report of the technical officer is enclosed. (This will be necessary only in the case of second hand tourist transport vehicles). The application is recommended/not recommended.

Secretary

PART C

The application was considered at the meeting of the Committee held on————and it was decided that a sum of Rs.————be sanctioned towards the price of the proposed vehicle subject to the normal terms/additional terms mentioned below.

Chairman

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971